

न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

| मु0 न0 | दायर दिनांक | अ0 धा0 | निर्णय दिनांक |
|--------|-------------|----------------|---------------|
| 05/21 | 11.01.21 | 91 एल0आर0 एक्ट | 10.02.2021 |

सरकार बनाम रामेश्वर पुत्र बंशीधर जाति-ब्राह्मण, निवासी-रोसांवा तहसील फतेहपुर

10.02.2021 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का रोसांवा ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि मोजा ग्राम रोसांवा के राजकीय भूमि ख0न0 233 रकबा 00.91 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.03 है0 पर रामेश्वर पुत्र बंशीधर जाति-ब्राह्मण, निवासी-रोसांवा तहसील फतेहपुर ने तारबंदी व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का रोसांवा के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश किया गया । गैर सायल के विरुद्ध पटवारी हल्का रोसांवा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.02.2021 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का रोसांवा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल रामेश्वर पुत्र बंशीधर जाति-ब्राह्मण, निवासी-रोसांवा तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख0न0 233 रकबा 00.91 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.03 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है । भू0अ0नि0 बिराणिया को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 00.15 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 08/- रुपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते हैं । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



C
तहसीलदार
तहसील फतेहपुर - सीकर
तहसीलदार
फतेहपुर (सीकर)